(16)

क्रम-संख्या-312

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार 16 अगस्त, 1997**
श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1255/सत्रह-वि-1—1(क)-31-1997
लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना

**विविध**

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1997)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (8) में शब्द "गोरखपुर" के पश्चात् शब्द "जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ग) में शब्द "बरेली में रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय" के पश्चात् शब्द "जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से महात्मा ज्योतिबा फुले, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली कहा जायेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

नई धारा 72-छ का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 72-च के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"72.छ-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से इस अधिनियम, या किसी नियम, परिनियम, अध्यादेश, परिनियत संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

(गोरखपुर विश्वविद्यालय और रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नामों में परिवर्तन पर संक्रमणकालीन व्यवस्था)

अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ 2 में,-

(क) क्रम संख्या 4 के सामने शब्द "गोरखपुर विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रख दिये जायेंगे;

(ख) क्रम संख्या 11 के सामने शब्द "रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

---

No. 1255 (2)/XVII-V-1—1 (KA) 31/1997

*Dated Lucknow : August 16, 1997*

IN pursuance of the provions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradresh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

## THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 1997

(U.P. Act No. 18 of 1997)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973*

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997.

Act No. 18 of 1997



2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (8) *after* the word "Gorakhpur" the words "which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur" shall be *inserted*.

Amendment of section 2 of the President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1-A), in clause *(c)*, *after* the words "at Bareilly" the words "which shall with effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 be called Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly" shall be *inserted*.

Amendment of section 4

4. *After* section 72-F of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Insertion of new section 72-G

"72-G With effect from the date of the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 1997 any reference to the University of Gorakhpur and the University of Rohilkhand in this Act, or any rules, Statutes Ordinances, statutory instruments or any other law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur and Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly respectively."

Transitory provisions on the change of names of University of Gorakhpur and University of Rohilkhand.

5. In the Schedule to the principal Act, in column 2,—

Amendment of the Schedule

*(a)* against serial number 4, *for* the words "The University of Gorakhpur" the words "Deen Dayal Upadhyaya, Gorakhpur University, Gorakhpur" shall be *substituted*;

*(b)* against serial number 11, *for* the words "The University of Rohilkhand" the words "Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly" shall be *substituted*.

By order,

R. D. MATHUR,

*Pramukh Sachiv.*

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—141 सा० विधा०— —(994)—850—(कम्प्यू० / आफसेट)।